न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 65/2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. कैलाश कुमार पुत्र हाथीमल जाति महेश्वरी निवासी सुंदर नगर चौहटन जिला बाडमेर (मैसर्स कैलाश किराणा स्टोर, बांखासर रोड, चौहटन जिला बाडमेर का विक्रेता एवं मालिक)
2. भरत कुमार पुत्र सम्पतराज निवासी 483, टंकर पाड़ा, चौहटन जिला बाडमेर (मैसर्स श्री गणेशम एन्टरप्राईजेज का मालिक)
3. श्री लोकेश चोपड़ा (M/s Adani Wilmar Ltd., Fortune House, Nr. Navrang Pura Railway Crossing, Ahmadab ad(380009) C/o Shrinath Agro Industries, Unit B,Ramstambh Where House & Logistics Park, Khasra No. 239/11, Behind Salawas Road, Jodhpur(342013)के नोमिनी)
4. फर्म M/s Adani Wilmar Ltd., Fortune House, Nr. Navrang Pura Railway Crossing, Ahmadab ad(380009) C/o Shrinath Agro Industries, Unit B,Ramstambh Where House & Logistics Park, Khasra No. 239/11, Behind Salawas Road, Jodhpur(342013)

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र, अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 की ओर से उपस्थित तथा अधिवक्ता श्री सुरेश मोदी, अप्रार्थीगण संख्या 03 एवं 04 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 21.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवा[illegible] बाड़मेर द्वारा धारा 2[illegible]प धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की **कैलाश किराणा स्टोर, बाखासर रोड, चौहटन जिला बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **06.02.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून (सोयाहेल्थ) (01 लीटर)** जो 08 बोतलों में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून (सोयाहेल्थ) (01 लीटर)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1860** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून (सोयाहेल्थ) (01 लीटर)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून (सोयाहेल्थ) (01 लीटर)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि No Nutritional or Health claim is made on the label of the product. Therefore, in the absence of such claim(s) on the label of the product concerned, there is no requirement whatsoever for the Respondents to declare Omega 3 and Omega 6 Fatty Acids in the Nutritional Information. The impugned FA Report being contrary to the settled regulation, is inadmissible and void. Therefore, the impugned complaint filed on the basis of an illegal FA Report is void ab initio and is liable to be dismissed on this ground alone.

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्[illegible] प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या [illegible] के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जो[illegible] से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.02.2023** की प्रति जरिये [illegible] ने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ने लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि No Nutritional or Health claim is made on the label of the product. Therefore, in

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

the absence of such claim(s) on the label of the product concerned, there is no requirement whatsoever for the Respondents to declare Omega 3 and Omega 6 Fatty Acids in the Nutritional Information. The impugned FA Report being contrary to the settled regulation, is inadmissible and void. Therefore, the impugned complaint filed on the basis of an illegal FA Report is void ab initio and is liable to be dismissed on this ground alone. इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थी संख्या 2 निर्माता के पास कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में लिए गये सैम्पल के समय जानकारी हो जाने के बावजूद संशोधन नहीं किया जाना एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रुपये 25,000/-, अप्रार्थी संख्या 2 पर रुपये 25,000 तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested